एक नजर में

राहुल को हिंदू धर्म की समझ न लोकतंत्र की : मोहन

भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने राहुल गांधी के एक बयान पर टिप्पणी करते सोमवार को कहा कि उन्हें न हिंदू धर्म की समझ है, न लोकतंत्र की। उन्हें ईवीएम चुनाव की वोटिंग मशीन पर भी भरोसा नहीं है, जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता है। राहुल गांधी को विचार करना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं? -ब्यूरो

सेवानिवृति के बाद भी शिवराज के विशेष सहायक रहेंगे राजेश

भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश श्रीवास्तव 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत होंगे। सेवानिवृति के बाद भी वह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष सहायक बने रहेंगे। प्रशांत श्रीवास्तव (अशासकीय व्यक्ति) को निजी स्थापना में निज सचिव पद पर संविदा नियुक्ति देने का भी निर्णय लिया गया है। -ब्यूरो

आचार संहिता प्रभावी रहने तक नहीं होगी जनसुनवाई

भोपाल। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने तक प्रदेश में सरकारी अधिकारी जन सुनवाई नहीं कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में सभी कलेक्टर मंगलवार को जनसुनवाई कर रहे थे। -ब्यूरो

भाजपा नेता के मैरिज गार्डन व दुकान पर चला बुलडोजर

सागर। युवक की हत्या के आरोपित भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री मस्तराम घोषी के मैरिज गार्डन व दुकान पर पुलिस-प्रशासन ने सोमवार को बुलडोजर चलाया। मामला जिले के मोतीनगर थाना अंतर्गत कनेरादेव क्षेत्र का है। दोपहर में जब हाई कोर्ट का स्टे आर्डर मिला, तब प्रशासन ने कार्रवाई स्थगित की। -नप्र

पहला चरण : नामांकन करने को मिलेंगे छह दिन

भोपाल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शामिल मप्र की छह सीटों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र जमा करने के लिए प्रत्याशियों को छह दिन ही मिलेंगे। 24 मार्च को रविवार और 25 मार्च को होली का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। -ब्यूरो

भगोरिया की धूम शुरू... परंपरा के संगीत पर जमकर थिरके आदिवासी

आलीराजपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आदिवासी अंचल के झाबुआ, आलीराजपुर, धार जिले में सोमवार से साल के सबसे बड़े लोक उत्सव भगोरिया की शुरुआत हो गई है। पहले दिन झाबुआ-आलीराजपुर जिले के आलीराजपुर, चंद्रशेखर आजादनगर, पेटलावद, रंभापुर, मोहनकोट, कुंदनपुर, रजला, बड़ा गुड़ा और मेड़वा में भगोरिया मेले लगे। इन मेलों में परंपरा के संगीत पर आदिवासी समाजजन जमकर थिरके। मांदल की थाप और बांसुरी की तान पर पारंपरिक आदिवासी नृत्य का उल्लास देखते ही बन रहा था। पारंपरिक परिधानों में नृत्य करती टोलियां आकर्षण का केंद्र रहीं। लोकसभा चुनाव के कारण राजनीतिक दलों ने गेर में शक्ति प्रदर्शन किया। बच्चों के लिए झूले-चकरी, खिलौने व खानपान की सामग्री आकर्षण का केंद्र रही।

आज यहां लगेगा भगोरिया हाट : मंगलवार को झाबुआ-आलीराजपुर जिले के बखतगढ़, आंबुआ, अंधारवाड़, पिटोल, खरडू, थांदला, तारखेड़ी व बरवेट में भगोरिया हाट लगेगा।

भगोरिया उत्सव के दौरान आलीराजपुर में बांसुरी की तान पर खूब झूमे आदिवासी समाजजन। आलीराजपुर के भगोरिया हाट में पारंपरिक आदिवासी परिधान में युवतियां। ●आशुतोष ओझा लाला

क्या है भगोरिया ?

आदिवासी लोक उत्सव भगोरिया को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं। मान्यता अनुसार माता जी के श्राप के कारण भगोर नामक स्थान उजड़ गया था। जब वापस बसा तो उस खुशी में वार्षिक मेला आरंभ हुआ, जो बाद में अन्य जगह भी हाट-बाजारों में लगने लगा। भगोर से आरंभ होने के कारण इन वार्षिक मेलों का नाम भगोरिया मेला पड़ गया। वैसे ग्रामीण जनजीवन की धुरी पुराने समय से लेकर अभी तक साप्ताहिक हाट-बाजारों पर ही केंद्रित है। होली के एक सप्ताह पूर्व आने वाले हाट त्योहारिया हाट के रूप में मनाए जाते थे। इन हाट-बाजारों में गुलाल उड़ाई जाती थी। सभी मिलकर पर्व की खुशियां बांटते थे। बाद में इन्हीं होली के पूर्व के इन हाट-बाजारों का नाम गुलालिया हाट से बदलकर भगोरिया हाट हो गया।

कांग्रेस की नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी

आज होगा निर्णय ● केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश संगठन में परिवर्तन के बाद अब कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी है। 10 सीटों की पहली सूची में जिस तरह टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, धार से राधेश्याम मुवेल और खरगोन से पोरलाल खरते को प्रत्याशी बनाया गया, उसी तरह अन्य सीटों पर भी नए चेहरे देने की तैयारी है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित वरिष्ठ नेता प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा कर चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति को प्रत्येक सीट के लिए एक नाम प्रस्तावित किया जाएगा ताकि मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में अंतिम रूप देकर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं।

कांग्रेस ने प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों में से 10 के प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें भिंड से फूल सिंह बरैया और देवास से राजेंद्र मालवीय को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों की आयु 50 वर्ष या उससे कम हैं। इनमें से तीन विधायक (सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम और भिंड से फूल सिंह बरैया) और सीधी से पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल को प्रत्याशी बनाया है। बैतूल से रामू टेकाम पर फिर भरोसा जताया है। खजुराहो सीट समझौते में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दे दी है।

रविवार को पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने भोपाल में पटवारी से भेंट की थी। वहीं, विदिशा से पूर्व सांसद प्रतापभानु शर्मा भी पहुंचे। भाजपा ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। गुना का मामला अरुण यादव की दावेदारी के कारण उलझ गया है। यादव प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह से भेंटकर गुना लोकसभा से चुनाव लड़ने के संबंध में अपना पक्ष रख चुके हैं। रीवा से कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उधर, सेमरिया से विधायक अभय मिश्रा ने पत्नी नीलम मिश्रा की दावेदारी पेश कर दी है।

अधिकांश पहली बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

लोकसभा की शेष बची 18 सीटों के लिए जिन नामों पर विचार किया गया है, उनमें से अधिकतर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कुछ विधायक और पूर्व विधायकों पर भी दांव लगाया जा सकता है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में नया चेहरा देने की तैयारी है तो राजगढ़ और रतलाम से पूर्व विधायक को चुनाव लड़ाया जा सकता है। बालाघाट के लिए पार्टी के पास हिना कांवरे, कंकर मुंजारे, सम्राट सिंह सरस्वार के नाम प्रस्तावित किए हैं। मुरैना और ग्वालियर में सामाजिक समीकरण के कारण अभी एक राय नहीं बनी है।

सिविल अस्पतालों व सीएचसी में भी बनेंगे डेंटल यूनिट

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों के अतिरिक्त चिह्नित सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी दांत के बड़े उपचार हो सकेंगे। यहां रूट कैनाल, जबड़े की सर्जरी, छोटे बच्चों के दांतों का उपचार, दांतों में फिलिंग का काम हो सकेगा। इसके लिए 40 करोड़ रुपये पिछले वर्ष स्वीकृत हुए थे, पर मप्र पब्लिक हेल्थ सप्लाई कारपोरेशन से उपकरण खरीदी की प्रक्रिया अब शुरू हो पाई है। उपकरण आने और स्थापित होने में तीन से चार माह लगेंगे। जिला अस्पतालों में तीन, सिविल अस्पतालों में दो और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक डेंटल चेयर स्थापित होगी। सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध होगी, जहां दांत के स्थायी डाक्टर हैं। कुछ जिला अस्पतालों में अभी भी डेंटल यूनिट हैं, पर यहां सिर्फ दांतों के सफाई और संक्रमण के अतिरिक्त अन्य उपचार नहीं होते।

यह उपकरण डेंटल यूनिट में रहेंगे : डेंटल चेयर, डेंटल एक्स-रे, रूट-कैनाल ट्रीटमेंट के लिए अपेक्स लोकेटर के साथ एंडो मोटर, अल्ट्रासोनिक क्लीनर, अल्ट्रासोनिक स्केलर आदि। भोपाल के जेपी अस्पताल में आदर्श यूनिट बनाई जाएगी जिसमें ओपीजी एक्स-रे मशीन, डायोड लेजर, फिजियो डिस्पेंसर, इलेक्ट्रोकाटरी मशीन, पीजोलेक्ट्रिक मशीन से उपचार होगा।

भाजपा का मुस्लिम दांव, कमल नाथ के करीबी सैयद जाफर ने कांग्रेस छोड़ी

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। भाजपा ने अब मुस्लिम वर्ग में पैठ बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के करीबी और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर को सोमवार को भाजपा में शामिल कराया है। पार्टी की तैयारी है कि अब कांग्रेस के कुछ और मुस्लिम नेताओं को भाजपा में लाया जाए। भाजपा मुस्लिम नेताओं को समझाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस ने केवल उनका शोषण किया और वह तुष्टिकरण की राजनीति करती है।

प्रदेश कार्यालय में जाफर के साथ पथरिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश श्रीवास्तव, कांग्रेस महामंत्री डा. मनीषा दुबे, रतलाम जिला पंचायत सदस्य संतोष पालीवाल, बसपा के प्रदेश प्रभारी व प्रदेश महासचिव डा. रामसखा वर्मा, पूर्व प्रचारक अभयराज सिंह, रतलाम के मध्य प्रदेश आइटी सेल महामंत्री अंकित पोरवाल सहित 68 से अधिक जनपद सदस्य, सरपंच, पूर्व सरपंच, कांग्रेस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पार्टी के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय एवं न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डा. नरोत्तम मिश्रा ने अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, छिंदवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, प्रदेश प्रवक्ता डा. सनवर पटेल एवं मिलन भार्गव उपस्थित रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के करीबी और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर सहित 68 से अधिक जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ● नईदुनिया

मुख्यमंत्री ने दिलाया सहयोग का भरोसा

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां-जहां से कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है, वहां-वहां विकास के काम आपके बताने अनुसार किए जाएंगे।

'राहुल के निर्णय और कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं'

सैयद जाफर ने मीडिया से कहा कि कमल नाथ से कोई नाराजगी नहीं है, राहुल गांधी के निर्णय और कांग्रेस की नीतियों से वह सहमत नहीं हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में आने का निर्णय लिया।

विकास यात्रा में मिलकर काम करेंगे : प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने भी तय किया कि अगर देश में कुछ करना है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा में रहकर किया जा सकता है।

अनुबंधित निजी गोदामों में भी होगा गेहूं का भंडारण

- गोदाम संचालकों की आपत्ति के बाद बदली गई व्यवस्था
- राज्य भंडार गृह निगम ने कलेक्टरों को जारी किए आदेश

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। गोदाम संचालकों की आपत्ति के बाद सरकार ने निजी गोदामों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं के भंडारण की व्यवस्था बदली है। अब संयुक्त भागीदारी योजना के अंतर्गत अनुबंधित निजी गोदाम में 25 प्रतिशत तक रिक्त होने पर उसमें भंडारण किया जा सकेगा।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज ने 11 मार्च को सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि निजी गोदाम में पिछले वर्ष का उपार्जित या अन्य व्यक्तियों का गेहूं रखा होने पर भंडारण न किया जाए। इसे लेकर गोदाम संचालक संगठन ने आपत्ति की थी।

सोमवार को राज्य भंडारण गृह निगम ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन नीति के अनुसार संयुक्त भागीदारी योजना में अनुबंधित निजी गोदामों में गेहूं का भंडारण होगा। ऐसे गोदामों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें पिछले वर्ष भंडारण नहीं किया गया है या सौ प्रतिशत खाली हो चुके हैं। यदि गोदाम में वर्ष 2020-21 से 2022-23 का क्षतिग्रस्त, कीटग्रस्त गेहूं भंडारित है तो उसे पहले सुधरवाकर अलग रखवाया जा चुका है तो फिर कुल क्षमता के 75 से 25 प्रतिशत रिक्त होने पर भंडारण किया जा सकेगा।

41 लाख टन गेहूं अनुबंधित गोदामों में भंडारित किया जाएगा

प्रदेश में इस वर्ष 100 लाख टन गेहूं के उपार्जन का लक्ष्य है। 58.87 लाख टन गेहूं का भंडारण शासकीय एवं गारंटीयुक्त गोदाम में करने के अलावा सीधे भारतीय खाद्य निगम को सेंट्रल पूल में दिया जाएगा। शेष 41 लाख टन गेहूं का भंडारण संयुक्त भागीदारी योजना में अनुबंधित गोदामों में किया जा सकेगा।

दिव्यांग जुड़वा बलराम-कृष्णा अमेरिका में करेंगे पढ़ाई

धार (नप्र)। केंद्र सरकार ने देशभर से 20 दिव्यांग छात्रों को अमेरिका के वाशिंगटन विश्वविद्यालय में मास्टर्स डिग्री की दो साल की पढ़ाई के लिए चयनित किया है। इनमें मप्र के धार जिले के धानमंडी निवासी संजय गुप्ता के जुड़वां बेटों बलराम और कृष्णा भी चयनित हुए हैं। दोनों भाई जन्म से ही मूक-बधिर हैं। सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के माध्यम से यह चयन किया गया है। सरकार स्कालरशिप के माध्यम से उनकी पढ़ाई और रहने की समुचित व्यवस्था करेगी। भाइयों ने सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ते हुए हाईस्कूल, हायर एजुकेशन और ग्रेजुएशन की शिक्षा में उच्चांक प्राप्त किए हैं।

गणपति घाट पर वाहनों की पांच किलोमीटर लंबी कतार

धार। मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के राऊ-खलघाट फोरलेन स्थित गणपति घाट पर दो दिन से जाम लग रहा है। नई सड़क के लिए बनाए जा रहे अंडरपास के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। अस्थायी सड़क पर जगह कम होने से एक-एक वाहन की क्रासिंग हुई। इस कारण यातायात का दबाव बढ़ने से जाम लगने लगा। पांच किलोमीटर तक दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। इंदौर जाने वाले लोग बगड़ी होकर भी निकले, जिसकी वजह से बगड़ी में भी दिनभर जाम रहा। ● नईदुनिया

कूनो में चीतों की वंशवृद्धि के दृष्टिगत श्योपुर वनमंडल का पुनर्गठन

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। कूनो में चीतों की वंशवृद्धि को देखते हुए वन विभाग ने श्योपुर वनमंडल का पुनर्गठन किया है। इसका आंशिक क्षेत्र कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया है। श्योपुर का 370 वर्ग किमी रकबा घटाया है। पहले रकबा 2732 वर्ग किमी था, जो अब 2362 वर्ग किमी हो गया है। उधर, कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 748.7618 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसका रकबा 370 वर्ग किमी बढ़ा है। अब ग्वालियर वन वृत्त के श्योपुर वनमंडल के अंतर्गत श्योपुर उप वनमंडल का क्षेत्रफल 886.836 वर्ग किमी होगा, जिसमें श्योपुर, खाड़ी, बुढेरा परिक्षेत्र/ काष्ठगार होंगे। उप वनमंडल कराहल 824.409 वर्ग किमी का होगा, जिसमें कराहल एवं बड़ौदा परिक्षेत्र होंगे। विजयपुर उप वनमंडल का क्षेत्रफल 647.074 वर्ग किमी होगा, जिसमें विजयपुर पूर्व, विजयपुर पश्चिम और बीरपुर परिक्षेत्र होंगे। पुनर्गठित वनमंडल के उत्तर में चंबल नदी, राजस्थान की सीमा और मुरैना जिले की सीमा रहेगी, जबकि पूर्व में ग्वालियर, शिवपुरी जिले की सीमा एवं कूनो वन्यप्राणी वनमंडल की पश्चिमी सीमा रहेगी। दक्षिण में कूनो वन्यप्राणी वनमंडल श्योपुर की उत्तरी सीमा एवं राजस्थान राज्य की सीमा रहेगी। पश्चिम में राजस्थान।

करीब 45 हजार नर्सिंग छात्रों के हक में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

सीबीआइ जांच में अनुपयुक्त पाए गए नर्सिंग कालेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करें

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच में अनुपयुक्त पाए गए नर्सिंग कालेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने का महत्वपूर्ण राहतकारी आदेश पारित किया है। सोमवार को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति एके पालीवाल की युगलपीठ ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों की गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, छात्रों को एक अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा में शामिल किया जाए। इस आदेश से राज्य के लगभग 45 हजार नर्सिंग छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

उल्लेखनीय है कि मप्र के नर्सिंग कालेजों में चल रह फर्जीवाड़े के संबंध में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेशित किया था कि डेफिशिएंट श्रेणी के कालेजों के अभ्यर्थियों को उपयुक्त यानी सूटेबल कालेजों में परीक्षा हेतु स्थानांतरित किया जाए। हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति द्वारा कालेज की जांच उपरांत ही उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें अगले वर्ष हेतु मान्यता प्रदान की जाए। इस आदेश के बाद डेफिशिएंट नर्सिंग कालेजों द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष पुनः इस आशय के आवेदन पेश किया गया कि उनके कालेजों में सूक्ष्म प्रकृति की खामियों को पूरा करने का मौका देते हुए उन्हें अभ्यर्थियों की विधिवत परीक्षाएं लेने एवं सत्र जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

308 नर्सिंग कालेजों को तीन श्रेणियों में बांटा गया

सीबीआइ जांच के आधार पर राज्य में परिचालित 308 कालेजों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसमें 169 कालेज ऐसे पाए गए, जो कि तय मापदंडों अनुसार चलने योग्य थे, उन्हें उपयुक्त अर्थात सूटेबल की श्रेणी में रखा गया। वहीं 74 नर्सिंग कालेज ऐसे पाए गए, जिनमें कुछ सुधार योग्य खामियां पाई गईं, उन्हें डेफिशिएंट की श्रेणी में रखा गया, जबकि 65 नर्सिंग कालेज ऐसे भी पाए गए, जो अनुपयुक्त अर्थात अनसूटेबल की श्रेणी में रखे गए। हाई कोर्ट ने इन्हें चलने योग्य नहीं माना।

शिक्षा का अधिकार | 1.12 लाख सीटों पर 84795 को स्कूल आवंटित

66 हजार 646 बच्चों को मिला उनकी पहली पसंद का स्कूल

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रदेशभर के 23 हजार निजी स्कूलों में 1.12 लाख सीटों पर 84795 बच्चों को लाटरी निकालकर उन्हें स्कूल आवंटित किया गया। अब भी 27305 सीटें खाली हैं। इसमें 66 हजार 646 को पहली पसंद का स्कूल आवंटित किया गया। जिन्हें स्कूल का आवंटन हुआ है, वे आरटीई पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करके 22 मार्च तक स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं।

मोबाइल एप से रिपोर्टिंग अनिवार्य : प्रवेश के लिए उपस्थित होने पर संबंधित स्कूल द्वारा आरटीई मोबाइल एप से एडमिशन रिपोर्टिंग अनिवार्य है, क्योंकि जिनकी एप से रिपोर्टिंग नहीं होगी, वह प्रवेश मान्य नहीं होगा। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चे के स्कूल में उपस्थिति के समय ही स्कूल द्वारा मोबाइल एप से फोटो लेना एवं ओटीपी के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग अवश्य करें। प्रथम चरण में आवंटित स्कूल में यदि प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं तो जिन स्कूलों में सीटें रिक्त रह जाएंगी, उन स्कूलों की च्वाइस दर्ज कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस का कहना है कि पहली व दूसरी पसंद के स्कूलों में ही अभिभावक बच्चों का एडमिशन कराते हैं, इसलिए आरटीई के तहत सीटें खाली रह जाती हैं।

सत्र : 2023-24
प्रदेश के निजी स्कूल : 26,666
स्कूलों में सीटें : 2.78 लाख
कुल आवेदन : 1.34 लाख
कुल प्रवेश : 1.16 लाख

सत्र : 2024-25
प्रदेश के निजी स्कूल : 23,072
कुल सीटें : 1.12 लाख
कुल आवेदन : 1.48 लाख
कुल आवंटन : 84,795

बड़े शहरों की स्थिति

जिला	स्कूल	सीटें	आवंटन
भोपाल	1,254	7,010	6,262
इंदौर	1,425	8,045	4,788
ग्वालियर	992	4,474	2,390
जबलपुर	646	3,564	2,769

पसंदीदा स्कूल का आवंटन

पहली पसंद	66,646
दूसरी पसंद	9,558
तीसरी पसंद	4971
चौथी पसंद	1,519
पांचवीं पसंद	788
छठी पसंद	369
सातवीं पसंद	206
आठवीं पसंद	109
नौवीं पसंद	67
दसवीं पसंद	27

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028
CIN: U67100TZ2014PTC020363, **ईमेल:** zuber.khan@omkaraarc.com, **प्राधिकृत अधिकारी मो. नं.:** +91 8657969231

[परिशिष्ठ-4-ए] [नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) का परंतुक देखें]

अचल संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित 9(1) के परंतुक के साथ पठित।

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रुप से ऋणी एवं जमानतदार को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका कब्जा ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। इसके अलावा ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (ओएआरपीएल) (ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रुप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) ने इंडसइंड बैंक लि. (असाइनर बैंक) से दिनांक 25.06.2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के तहत अंतर्निहित सुरक्षा होम असाइनर बैंक के साथ नीचे दिए गए खातों के सभी बकाया ऋण प्राप्त कर लिए हैं। तदनुसार, ओएआरपीएल ने असाइनर बैंक का अधिकार प्राप्त किया है और बकाया वसूलने और सुरक्षा को लागू करने का अधिकार दिया है ओएआरपीएल के अधिकृत अधिकारी ने ऋणी/बंधककर्ता/सह-ऋणी से नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है ओएआरपीएल के अधिकृत अधिकारी एतद्वारा बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियां बेचने के इच्छुक हैं और इसलिए सुरक्षित संपत्तियों की खरीद के लिए निविदाएं / बोलियां सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं। संपत्तियों को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) और (4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणीयों के विवरण के नीचे दिखाए गए संबंधित ऋणीयों और सह-ऋणी(यों) से सुरक्षित लेनदार के रुपा में ओएआरपीएल के संबंधित कॉलम में नीचे दिखाई गई राशि की वसूली के लिए **'जैसा है जहां है', 'जैसा है, वैसा है' और 'जो कुछ भी है'** आधार पर बेचा जाएगा। ऋणीयों / जमानतदारों / बंधकर्ताओं, प्रतिभूतियां, मालिक, बकाया देय, तिथि धारा 13 (2), कब्जे की तिथि, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि राशि, बयाना राशि जमा (ईएमडी), निरीक्षण की तिथि और समय के तहत भेजी गई मांग सूचना निम्नानुसार दी गई है।

क्र.	ऋणी (यों)/जमानतदार(रों)/ बंधककर्ता(ओं) के नाम	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	संपत्ति के मालिक	दि.21.11.2023 को बकाया राशि (रु. में)	मांग सूचना दिनांक	आधिपत्य दिनांक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	बोली वृद्धी राशि (रु. में)	ईएमडी (रु. में)	निरिक्षण की दिनांक एवं समय
1	**शिवानी फूड प्रोडक्ट्स** (ऋणी) **घनश्याम जारीया** (प्रोप्रायटर, जमानतदार एवं बंधककर्ता) **बेबी जारीया** (जमानतदार)	**लॉट नंबर-I:** पटवारी हल्का नंबर 21, रेवेन्यु सर्कल नं. 2, सर्वे नंबर 26/4 भाग, रकबा 0.522 हेक्टेयर, ग्राम चोरडिया, तहसील महू, जिला इंदौर (म.प्र.) में परिवर्तित भूमि, जिसकी माप 56,167 वर्ग फुट है और मौजूदा और भविष्य में निर्माण एवं **चर्तुसीमा इस प्रकार है:** पूर्व में: खुली भूमि, पश्चिम में: खुली भूमि, उत्तर में: 18 मीटर चौड़ि सड़क, दक्षिण में: खुली भूमि	श्री घनश्याम जारीया	Rs. 6,16,26,945.82	31.05.2021	25.05.2023 (भौतिक)	Rs. 3,15,00,000/-	Rs. 50,000/-	Rs. 31,50,000/-	28.03.2024 प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
		लॉट नंबर-II: पटवारी हल्का नंबर 23, रेवेन्यु सर्कल नं. 2, सर्वे नंबर 413/1 भाग, रकबा 0.137 हेक्टेयर, ग्राम नेवगुराड़िया, तहसील महू, जिला इंदौर (म.प्र.) में परिवर्तित भूमि, जिसकी माप 14,741 वर्ग फुट है और मौजूदा और भविष्य में निर्माण एवं **चर्तुसीमा इस प्रकार है:** पूर्व में: खुली भूमि, पश्चिम में: खुली भूमि, उत्तर में: खुली भूमि, दक्षिण में: 18 मीटर चौड़ि सड़क					Rs. 55,00,000/-	Rs. 25,000/-	Rs. 5,50,000/-	28.03.2024 दोप. 2.00 बजे से 3.00 बजे तक

खाता क्र.: 344905001084, लाभार्थी का नाम : ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट, बैंक का नाम : ICICI Bank, शाखा : बांद्रा (पू.) मुम्बई , IFSC कोड : ICIC0003449

लॉट -I हेतु ई-नीलामी की दिनांक एवं समय - 10.04.2024 दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक | **लॉट -II हेतु ई-नीलामी की दिनांक एवं समय - 10.04.2024 दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक**

लॉट नंबर I और II के लिए भागीदारी का बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 08.04.2024 शाम 5:30 बजे तक

नीलामी के नियम एवं शर्तें: बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता (ओएआरपीएल) http://omkaraarc.com/auction.php या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत बिक्री के लिए वैधानिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) एवं वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता को कम से कम 15 (पंद्रह) दिनों का एक अनिवार्य नोटिस है।

दिनांक : 19.03.2024
स्थान : इन्दौर

ह/- प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
(ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रुप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए)